शासनादेश संख्या– 3665/5-9-7-9(113)/2005

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकि0 स्वा0 एवं प0क0,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकि0 स्वा0 एवं प0क0,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनु– 9

लखनऊ : दिनांक 15, जनवरी, 2008

विषय– जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों एवं आशा को भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना लागू किए जाने विषयक शासनादेशसं0–जी.आई–176/5–9–07–9(113)/05–टी.सी., दिनांक 8/6/07 व शासनादेश संख्या–2340/5–9–07–9(113)/05–टी0सी0, दिनांक 20/06/07 तथा आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या–1867/5–9–07 –9(227)/84, दिनांक 08/06/2007 व शासनादेश संख्या–1867(1)/5–9–07–9(227) /84, दिनांक 20/06/2007 तथा संयुक्त सचिव,/मिशन निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा0 पत्रांक–जेड–14018/39/2006–NMBS, दिनांक–08/10/2000 के क्रम में यह कहने का निर्देश हुआ है कि जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों एवं आशा को भुगतान के संबंध में निम्न निर्देशों के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

1. आशा द्वारा लाभार्थी को समस्त सेवाएं प्रदान करने के साथ–साथ भुगतान संबंधी कार्य में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जिला अधिकारियों के सहयोग से जिला स्तर पर बैंक/डाक विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर इस संबंध में कार्य प्रणाली का निर्धारण किया जाए। उनके द्वारा बैंक/डाक विभाग के प्रतिनिधि अधिकारियों से इस बात के लिए अनुरोध किया जाए कि उन के स्तर से बैंक/डाक विभाग की सभी शाखाओं को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए जाएं ताकि लाभार्थी को चेक का भुगतान कराने में कोई परेशानी न हो।
3. जिला चिकित्सालय/प्राथ0स्वा0केन्द्र/सानु0स्वा0केन्द्र में प्रसव के तुरन्त बाद लाभार्थी के नाम का बियरर चेक बनाकर दे दिया जाए। यदि प्रसव उपकेन्द्र पर हो गया है तो ए.

एन.एम द्वारा लाभार्थी के समस्त विवरण प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र को बियरर चेक तैयार किए जाने हेतु उपलब्ध करा दिया जाए। **भुगतान प्रत्येक दशा में 7 दिन के अन्दर ही सुनिश्चित किया जाए।**

4. यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से महिला को चिकित्सालय से छुट्टी के समय चेक तैयार कर न दी जा सकी हो तो अगले ही कार्य दिवस में चेक तैयार कर 24 घण्टे के अन्दर लाभार्थियों को दे दिया जाए।

5. घरेलू प्रसव होने पर उस क्षेत्र की ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थी के प्रसव का विवरण संबंधित पी0एच0सी0 के प्रभारी को उपलब्ध करा दिया जाए।

6. जिन पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में ए0एन0एम0 सप्ताह में एक बार मीटिंग के लिए जाती है वहॉ प्राप्त विवरण के अनुसार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बियरर चेक बनवा कर सीधे लाभार्थी को चेक देंगे या ए0एन0एम0/आशा के माध्यम से प्राप्त कराएंगे।

7. आशा के भुगतान के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए। सभी आशा कार्यकर्ताओं को खाता खोलने हेतु निर्देशित किया जाए एवं आशा अपना खाता संख्या संबंधित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करा दें। आशा का भुगतान केवल <u>एकाउण्ट पेयी चेक</u> द्वारा ही किया जाए।

8. दिनांक 19/01/2008 को ज्वाएंट रिव्यू मिशन की बैठक में प्रमुख सचिव की उपस्थिति में संज्ञान में लिया गया कि आशा के भुगतान के बारे में कतिपय मदो में कठिनाइयां आ रही है तथा आशा भुगतान प्रक्रिया से संतुष्ट नही है। इस बारे में निर्देश दिए जाते है कि आशा को पूरा भुगतान दिया जाए। उनसे लाभार्थी परिवहन के मद में भुगतान का प्रमाण पत्र ले लिया जाए जो लाभार्थी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो

9. इम्प्रैस्ट मनी से उन्हीं आशाओं को भुगतान किया जाए जो प्रसव केसो को वास्तव में चिकित्सालय ला रही है। इस फण्ड को रिवाल्विंग फण्ड के रूप में क्रियाशील किए जाने के बारे में भी विचार किया गया।

10. यदि आशा जिला चिकित्सालय में प्रसव हेतु लाभार्थी को ले जाती है तो उन्हें जिला चिकित्सालय से लाभार्थी के प्रसव का प्रमाण पत्र दे दिया जाए जिसके आधार पर आशाओं को संबंधित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 से भुगतान किया जाए।

11. सभी पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों एवं आशा को किए गये भुगतान का विवरण जनपदीय स्वास्थ्य समिति को प्रत्येक माह की 04 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए।

12. सभी संबंधित इकाईयों की रिपोर्ट का संकलन करके भुगतान की गई धनराशि का संकलित विवरण पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारियों द्वारा राज्य स्वास्थ्य मिशन/निदेशालय को प्रत्येक माह की आठ तारीख को प्रेषित कर दिया जाए ताकि इनके स्तर से जनपदों की रिपोर्ट का संकलन, समीक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

13. प्रभारी अधिकारियों के कार्यक्रम के खातों का रोगी कल्याण समिति से भी सामंजस्य रखा जाए ताकि लाभार्थियों/आशा के देयों का भुगतान समय से हो सके।

14. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा भारत सरकार को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट एवं योजना के संचालन में सुधार के संबंध में टिप्पणी सहित प्रत्येक त्रैमास के अन्त पर प्रेषित कर दी जाए। रिपोर्ट में प्रति त्रैमास के पश्चात अवशेष धनराशि का भी अंकन किया जाए।

15. भुगतान प्रक्रिया का सत्यापन 5 प्रतिशत जनपद स्तर पर एवं 10 प्रतिशत प्राथ0स्वा0केन्द्र/सामु0स्वा0केन्द्र स्तर से किया जाना बाध्यकारी होगा।

16. प्रत्येक जनपद के कार्यक्रम अधिकारी अपने जनपद की समस्त इकाईयों पर भुगतान संबंधी अभिलेख का रख–रखाव पूर्ण रूप से रखने हेतु सभी इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करें दें ताकि भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन/महानिदेशालय/मण्डल/अन्य स्तर के अधिकारी जब उन इकाइयों का भ्रमण करें तो समस्त रिकार्ड एवं लाभार्थियों की सूची उपलब्ध रहें।

भवदीया,

(नीता चौधरी) 15.2.08

प्रमुख सचिव,